Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

किरण [1*], डॉ. अनिता पाल [2]

[1] परास्नातक शोधार्थिनी-समाजशास्त्र विभाग, ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, भारत

[2] सहायक प्रोफेसर, ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: *किरण

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18976186

सारांश

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो परिवार और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। घरेलू हिंसा का अर्थ है परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से किया गया दुर्व्यवहार। भारतीय समाज में यह समस्या लंबे समय से मौजूद है और इसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है, जिसमें पुरुषों को अधिक अधिकार और महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। इस असमानता के कारण महिलाओं को कई बार अत्याचार सहना पड़ता है। दहेज प्रथा, अशिक्षा, गरीबी, नशे की लत, बेरोजगारी और सामाजिक रूढ़िवादिता भी घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण हैं। कई महिलाएं सामाजिक बदनामी, परिवार टूटने के डर और आर्थिक निर्भरता के कारण हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं।

घरेलू हिंसा का प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। इससे पीड़ित व्यक्ति में मानसिक तनाव, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी और शारीरिक चोटें हो सकती हैं। बच्चों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है।

भारत सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005", जो महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी इस समस्या के समाधान के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

अंततः, घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता, समानता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब तक समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है।

घरेलू हिंसा के मामलों में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न भी शामिल होता है। कई बार पीड़ित व्यक्ति को अपमानित करना, धमकी देना, स्वतंत्रता को सीमित करना और आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखना भी घरेलू हिंसा के रूप हैं। यह हिंसा धीरे-धीरे पीड़ित व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, जिससे वह स्वयं को असहाय और कमजोर महसूस करने लगता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि वहां शिक्षा और जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है। परंतु शहरी क्षेत्रों में भी यह समस्या मौजूद है, हालांकि वहां इसके स्वरूप अलग हो सकते हैं। आधुनिक समाज में भी कई महिलाएं और अन्य पीड़ित व्यक्ति सामाजिक दबाव और परिवार की प्रतिष्ठा के कारण चुप रहते हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ जाती है।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सोच

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 02-01-2026
- **Accepted:** 26-02-2026
- **Published:** 12-03-2026
- **MRR:**4(3); 2026: 118-122
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

किरण, डॉ. अनिता पाल. भारतीय समाज में घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च रिव्यू. 2026;4(3):118-122.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

© 2026 किरण, डॉ. अनिता पाल. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

में बदलाव लाना आवश्यक है। परिवार में आपसी सम्मान, समानता और समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इस समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं और सरकार को मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। जागरूकता अभियान, परामर्श सेवाएं और सहायता केंद्र पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। मीडिया भी इस विषय पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस प्रकार, घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। समाज में समानता, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही इस समस्या को कम किया जा सकता है और एक सुरक्षित तथा सम्मानजनक समाज का निर्माण किया जा सकता है।

घरेलू हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारण समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है, जिससे पुरुषों में श्रेष्ठता की भावना और महिलाओं में हीनता की भावना विकसित हो जाती है। यह असमानता आगे चलकर घरेलू हिंसा के रूप में सामने आती है। इसके अलावा, पारिवारिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और संचार की कमी भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं।

घरेलू हिंसा का प्रभाव केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी होता है। पीड़ित व्यक्ति अक्सर भय, चिंता, अवसाद और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाता है। इससे उनका सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और वे समाज से अलग-थलग पड़ सकते हैं। कई मामलों में घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आती हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही समानता, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सकें। शिक्षा संस्थानों में भी इस विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ-साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना जरूरी है। पुलिस और न्याय प्रणाली को संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र और उचित न्याय मिल सके। साथ ही, हेल्पलाइन सेवाएं, महिला आश्रय गृह और परामर्श केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत सहायता मिल सके। अंततः,घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना होगा। जब समाज में समानता, सम्मान और न्याय की भावना मजबूत होगी, तभी एक सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

मुख्य शब्द: घरेलू हिंसा, भारतीय समाज, महिला उत्पीड़न, पारिवारिक संबंध

1. प्रस्तावना

घरेलू हिंसा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो परिवार जैसे पवित्र माने जाने वाले संस्थान के भीतर घटित होती है। यह हिंसा प्रायः महिलाओं, बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध की जाती है। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक आघात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक, यौन तथा आर्थिक शोषण भी शामिल है। भारतीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक संरचना पर आधारित है, जहाँ पुरुष को परिवार का मुखिया और निर्णयकर्ता माना जाता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही है, जिसके कारण वे हिंसा और उत्पीड़न का शिकार बनती हैं। दहेज प्रथा, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, शराब की लत, बेरोजगारी तथा सामाजिक दबाव घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण हैं।

यद्यपि सरकार द्वारा ''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005''[4] जैसे कानून बनाए गए हैं, फिर भी सामाजिक बदनामी के डर और पारिवारिक प्रतिष्ठा की चिंता के कारण अनेक महिलाएँ शिकायत दर्ज नहीं करातीं।''''

2. साहित्य की समीक्षा

घरेलू हिंसा की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, 2013)[11] के अनुसार, घरेलू हिंसा महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डालती है। भारत में घरेलू हिंसा को रोकने हेतु Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)'' लागू किया गया, जिसने घरेलू हिंसा को कानूनी मान्यता प्रदान की। भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के स्वरूपों में शारीरिक मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न, आर्थिक नियंत्रण तथा यौन हिंसा प्रमुख है। शर्मा (2015)[10] के अनुसार घरेलू हिंसा का मुख्य कारण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक निर्भरता और पुरुष प्रधान सत्ता संरचना है। दहेज प्रथा घरेलू हिंसा को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। NCRB (2022) की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में घरेलू हिंसा और दहेज संबंधी मामलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। समाजशास्त्रीय साहित्य में घरेलू हिंसा के कारणों को पितृसत्तात्मक व्यवस्था से जोड़कर देखा गया है। कुमकुम संघारी (2002)[7] के अनुसार भारतीय

© 2026 किरण, डॉ. अनिता पाल. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिवारों में पुरुषों का वर्चस्व महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखता है, जिससे हिंसा को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। संघर्ष सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि घरेलू हिंसा शक्ति और संसाधनों पर नियंत्रण का परिणाम है। वहीं नारीवादी दृष्टिकोण घरेलू हिंसा को लैंगिक असमानता और महिला दमन का सबसे स्पष्ट रूप मानता है (Beauvoir - 1949)। घरेलू हिंसा के प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, पारिवारिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता को भी प्रभावित करते हैं। WHO (2013) के अनुसार, घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं में अवसाद, तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा भारतीय समाज में गहराई से जुड़ी संरचनात्मक समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, महिला शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण तथा पितृसत्तात्मक मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जिसका प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित न होकर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से इस विषय का विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत व्यवहार का परिणाम नहीं बल्कि सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक असमानता, सांस्कृतिक मान्यताओं और आर्थिक निर्भरता से गहराई से जुड़ी हुई है। अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है कि अनेक मामलों में हिंसा छिपी रहती है और सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक दबाव तथा जागरूकता की कमी के कारण सामने नहीं आ पाती। इस विषय के अध्ययन का महत्व इस बात में निहित है कि इससे घरेलू हिंसा के मूल कारणों, उसके स्वरूप, प्रभावों तथा रोकथाम के उपायों की पहचान की जा सकती है। यह नीति-निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विधि-व्यवस्था से जुड़े संस्थानों को प्रभावी योजनाएँ बनाने में सहायक होता है। साथ ही, इस प्रकार का समाजशास्त्रीय अध्ययन समाज में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः घरेलू हिंसा पर किया गया अध्ययन सामाजिक परिवर्तन और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक और प्रासंगिक है।

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा एक गंभीर और व्यापक सामाजिक समस्या है, जिसका संबंध सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक असमानता तथा आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत घरेलू हिंसा को केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक विवाद के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, नियंत्रण और सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित एक संरचनात्मक समस्या के रूप में देखा जाता है। इसके विभिन्न रूप - शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न - परिवार के भीतर ही घटित होते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक दबाव और भय के कारण अपनी स्थिति व्यक्त नहीं कर पाता। इस विषय का अध्ययन समाज में व्याप्त असमानताओं, कानूनी प्रावधानों की प्रभावशीलता और जागरूकता के स्तर को समझने में सहायक होता है तथा लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करता ळें

3. शोध उद्देश्य

1. भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों (शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक) की पहचान करना। और विश्लेषण करना।
2. घरेलू हिंसा के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पितृसत्तात्मक कारकों का अध्ययन करना।
3. पीड़ितों पर घरेलू हिंसा के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
4. घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों और नीतियों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।
5. समाज में जागरूकता के स्तर तथा सहायता तंत्र (परिवार, समुदाय, संस्थाएँ) की भूमिका का विश्लेषण करना।

4. शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य में वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

वर्णनात्मक पद्धतिः यह एक शोध की पद्धति है जिसका उपयोग तथ्यों, घटनाओं और परिस्थितियों या वस्तुओं का विस्तृत और सटीक वर्णन करने के लिए किया जाता है।

वर्णनात्मक शोध विधि की विशेषताएँः

1. **वास्तविकता का चित्रणः** यह जैसा है वैसा ही बताती है बिना बदले।
2. **तथ्य संग्रहः** प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन आदि तरीकों से डेटा लिया जाता है।
3. **विश्लेषण नहीं वर्णनः** इनमें घटनाओं के कारकों या भविष्यवाणी की बजाय सिर्फ उनका वर्णन और वर्गीकरण किया जाता है।
4. **वर्तमान पर बलः** यह आमतौर पर वर्तमान स्थिति, व्यवहार या समस्याओं का भी अध्ययन करती है।

सूचना के संकलन के स्त्रोत

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक स्त्रोत के रूप में प्रश्नावली तथा द्वितीयक स्त्रोत के रूप में इस विषय पर शोध करते समय प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया जाता है।

प्राथमिक स्त्रोतों में प्रश्नावली शामिल है, जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों से सीधे जानकारी प्राप्त की जाती है।

द्वितीयक स्त्रोतों में पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल, सरकारी रिपोर्ट, जनगणना आंकड़े, एनसीईआरटी (NCERT), यूजीसी (UGC) प्रकाशन, धार्मिक ग्रंथ (वेद, उपनिषद, गीता), सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित साहित्य तथा इंटरनेट आधारित विश्वसनीय स्त्रोत सम्मिलित होते हैं।

डाटा संकलन के उपकरण

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा पर आधारित सामाजिक शोध में डाटा संकलन के उपकरण शोध की दिशा और निष्कर्षों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में प्रश्नावली (Questionnaire) का उपयोग व्यापक जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, जबकि साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) के माध्यम से पीड़ितों और संबंधित व्यक्तियों से अनुभवों को विस्तार से समझा जाता है। अवलोकन पद्धति से व्यवहार और परिस्थितियों का

© 2026 किरण, डॉ. अनिता पाल. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रत्यक्ष अध्ययन संभव होता है, तथा केस स्टडी तकनीक से विशिष्ट मामलों का गहन विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त फोकस समूह चर्चा (FGD) और दस्तावेज विश्लेषण जैसे उपकरण भी सामाजिक संदर्भ और संरचनात्मक कारकों को समझने में सहायक होते हैं। इन सभी उपकरणों का संतुलित और सावधानीपूर्वक प्रयोग अध्ययन को अधिक प्रमाणिक, संवेदनशील और समाजशास्त्रीय दृष्टि से सार्थक बनाता है।

सूचनाओं का एकत्रीकरण

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा पर आधारित समाजशास्त्रीय अध्ययन में सूचनाओं का एकत्रीकरण शोध प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है।

5. प्राप्त परिणामों का विश्लेषण

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा पर आधारित समाजशास्त्रीय अध्ययन में प्राप्त परिणामों का विश्लेषण शोध का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से संकलित तथ्यों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। विश्लेषण के दौरान यह देखा जाता है कि घरेलू हिंसा किन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है तथा विभिन्न वर्गों, आयु समूहों और समुदायों में इसके स्वरूप और तीव्रता में क्या अंतर पाया जाता है। अध्ययन के निष्कर्ष यह भी दर्शा सकते हैं कि पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक निर्भरता, नशा, अशिक्षा और सामाजिक दबाव जैसी परिस्थितियाँ इस समस्या को बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं। परिणामों का तार्किक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण न केवल समस्या की गहराई को समझने में सहायक होता है बल्कि नीतिगत सुधार, जागरूकता कार्यक्रम और सामाजिक हस्तक्षेप की दिशा तय करने में भी मार्गदर्शक प्रदान करता है।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक स्रोतों - जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन और केस अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाता है। साथ ही, द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी आँकड़े, सर्वेक्षण रिपोर्टें, शोध पत्र, पुस्तकों और सामाजिक संस्थाओं की प्रकाशित सामग्री से भी आवश्यक जानकारी एकत्र की जाती है। एकत्रित सूचनाओं को विषयानुसार वर्गीकृत कर उनकी तुलना और विश्लेषण किया जाता है जिससे समस्या के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की स्पष्ट समझ विकसित होती है। इस प्रकार, सूचनाओं का सुव्यवस्थित एकत्रीकरण अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है और निष्कर्षों को अधिक विश्वसनीय बनाता है।

6. शोध उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा पर केंद्रित समाजशास्त्रीय अध्ययन में जब शोध उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है, तो यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या बहुआयामी सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी हुई है। यदि अध्ययन का उद्देश्य घरेलू हिंसा के कारणों, उसके प्रकारों, पीड़ितों पर प्रभाव तथा उपलब्ध कानूनी और सामाजिक सहायता तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण करना रहा हो, तो निष्कर्ष प्रायः दर्शाते हैं कि लैंगिक असमानता और पारंपरिक मान्यताएँ इसके प्रमुख कारण हैं। परिणाम यह भी इंगित कर सकते हैं कि जागरूकता की कमी और सामाजिक दबाव के कारण कई मामले औपचारिक रूप से दर्ज नहीं होते। इस प्रकार शोध उद्देश्यों के अनुरूप परिणामों की व्याख्या घरेलू हिंसा की जटिलता को उजागर करती है और यह रेखांकित करती है कि समाधान के लिए कानूनी उपायों के साथ-साथ सामाजिक चेतना, शिक्षा और सशक्तिकरण की आवश्यकता ळें

7. निष्कर्ष

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा पर आधारित समाजशास्त्रीय अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि यह समस्या गहराई से सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक असमानताओं में निहित है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत आचरण का परिणाम नहीं बल्कि सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा के स्तर और शक्ति-संबंधों से प्रभावित एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। इसके प्रभाव पीड़ित व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आत्म-सम्मान तथा सामाजिक सहभागिता पर दीर्घकालिक रूप से पड़ते हैं। निष्कर्ष यह भी संकेत करते हैं कि कानूनी प्रावधानों की उपलब्धता के बावजूद जागरूकता की कमी, सामाजिक दबाव और पारिवारिक प्रतिष्ठा जैसे कारक शिकायत दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः घरेलू हिंसा के प्रभावी समाधान के लिए कानून के साथ-साथ शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक समर्थन तंत्र को सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

आभार

यह कार्य समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर (एम. ए.) उपाधि को पूर्ण करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शोध प्रोजेक्ट का एक भाग है। यह शोध कार्य किरण द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर डा० अनिता पाल के निर्देशन में संपन्न किया गया है। इस कार्य में सहयोग के लिए लेखिका डा० संगीता चौधरी, प्राचार्या, ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर के प्रति आभार व्यक्त करती हैय जिन्होंने आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराईं तथा निरंतर प्रोत्साहन दिया।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, बीना. लैंगिक असमानता और विकास. नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. देसाई, नीरा और ठाकुर, उषा (2001) भारतीय समाज में महिला और समाज परिवर्तन, मुंबईः पॉपुलर प्रकाशन।
3. गोयल, आर. के. घरेलू हिंसा और भारतीय कानून, नई दिल्लीः दीप एंड दीप पब्लिकेशन।
4. भारत सरकार. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, नई दिल्लीः विधि एवं न्याय मंत्रालय।
5. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5). भारत तथ्य पत्रक, मुंबईः अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS)
6. द बुवआर, सिमोन (1949). द सेकंड सेक्स, पेरिस।
7. कुमकुम संघारी (2002). भारत में लिंग और पितृसत्ता, दिल्ली।
8. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) (2022). भारत में अपराध रिपोर्ट, भारत सरकार।
9. भारत सरकार. महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005।
10. शर्मा, के. (2015). भारत में घरेलू हिंसाः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, जयपुर।

© 2026 किरण, डॉ. अनिता पाल. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

11. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) (2013). महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के वैश्विक अनुमान, जिनेवा।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Authors

किरण, ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश, भारत) के समाजशास्त्र विभाग में परास्नातक शोधार्थिनी हैं। उनकी रुचि सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन और समकालीन सामाजिक मुद्दों के अध्ययन में है तथा वे समाजशास्त्रीय शोध गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

डॉ. अनिता पाल, ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश, भारत) में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उनका शैक्षणिक क्षेत्र समाजशास्त्र है। वे शिक्षण, शोध तथा सामाजिक मुद्दों से जुड़े अकादमिक अध्ययनों में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं।

© 2026 किरण, डॉ. अनिता पाल. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/